

कार्यालय महालेखाकार(ले० एव हक०)-प्रथम उत्तरप्रदेश,इलाहाबाद

## सूचना

इस कार्यालय से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो को सूचित किया जाता है कि माह नवम्बर-2018 में जीवित प्रमाण - पत्र हेतु प्राधिकृत प्रोफार्मा में वांछित सूचना/अभिलेख के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर दिनांक 30-11-2018 तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

---हस्ता०---

वेतन एवं लेखाधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद

जीवित होने का प्रमाण पत्र

पेंशन लेजर सं०...एस.बी.आई./

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... धारक पेंशन अदायगी आदेश सं०  
(PPO No.).....इस तारीख तक जीवित हैं।

नवीनतम फोटो  
चस्पा करें।

बैंक का नाम एवं खाता सं० .....

आई.एफ.एस.सी.कोड .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....

आधार संख्या.....

नाम .....

पैन नं० .....

प्राधिकृत अधिकारी का पद .....

पेंशनर का नाम .....

पता .....

मोहर .....

पेंशनर की जन्मतिथि .....

तारीख .....

मोबाइल नं० .....

पेंशनर का हस्ताक्षर .....

विवाह/पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विवाह/पुनर्विवाह नहीं किया है। विवाह/ पुनर्विवाह होने पर मैं उसकी सूचना उपर्युक्त विभाग/  
कार्यालय को देने का वचन देता/देती हूँ।

पेंशनर का हस्ताक्षर .....

पेंशन पाने वाले का नाम .....

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त घोषणा सही है।

किसी जिम्मेदार अधिकारी अथवा .....

किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर .....

नाम.....

पद .....

नौकरी न करने का प्रमाण पत्र

1. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सरकारी उपक्रम अथवा स्थानीय निधि के किसी प्रतिष्ठान में किसी भी हेसिएत से सेवा करके कोई भी परिश्रमिक विगत वर्ष के अवधि में नहीं प्राप्त किया है।
2. मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मैं ..... कार्यालय में नियुक्ति / पुनर्नियुक्त हूँ तथा निम्नलिखित धनराशि ..... अवधि में प्राप्त किया। (स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
3. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने सरकार की अनुमति से / सरकार के अनुमति के बिना वाणिज्य संस्थान की नौकरी की है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने सरकार की अनुमति लेकर / अनुमति लिए बिना भारत से बाहर किसी अन्य सरकार की नौकरी स्वीकार की है / स्वीकार नहीं की है।( जो लागू न हो उसे काट दीजिए।)

स्थान -

पेंशनर का हस्ताक्षर .....

पेंशन पाने वाले का नाम .....

तारीख-

आयकर प्रमाण-पत्र

(i) मैंने वित्तीय वर्ष 2017-2018 की आयकर विवरणी जमा कर दी है।

अथवा

आयकर की देयता नहीं बनती है। (जो लागू न हो उसे काट दें।)

(ii) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि आयकर विभाग द्वारा यदि कोई कर- देयता होगी तो उसका भुगतान करूँगा / करूँगी तथा मेरी पेंशन की आयकर विवरणी जमा करना मेरा दायित्व है।

संलग्नक:- जमा आयकर विवरणी की प्रति

हस्ताक्षर.....

पेंशन धारक का नाम.....

पेंशन अदायगी आदेश संख्या.....